



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 342]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 11, 2015/माघ 22, 1936

No. 342]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 11, 2015/MAGHA 22, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2015

**का.आ. 432(अ).**—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, टोल प्लाजा का स्थान 212.000 कि.मी. से बदलकर 211.805 कि.मी. पर करने के लिए मै. सोमा आइसोलक्स एनएच वन टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (अपीलकर्ता) बनाम हरीश कुमार पुरी और अन्य (प्रतिवादी) के मामले में 2014 की सिविल अपील संख्या 4611 (विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 19379/2013 से उत्पन्न) में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 17 अप्रैल, 2014 तथा 24 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुपालन में और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिनांक 3-12-2014 के पत्र संख्या एनएच-24036/15/2013-एच और दिनांक 07-01-2015 के पत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-37011/59/2014-पीपीपी द्वारा किए गए निदेशानुसार, एतद्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की दिनांक 6 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. संख्या 926(अ), तारीख 6 अप्रैल, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :

टिप्पणियां:

7.

टोल प्लाजा (चैनेज) के अवस्थान के लिए

(ii) 212.00 कि.मी.

टोल प्लाजा (चैनेज) के अवस्थान को निम्न प्रकार से पढ़ा जाए

रारा-1 का 211.805 किमी (घग्गर पुल के पास, हरियाणा कर ओर)

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/428/सीओ/08-09/जीसी-अम्बाला (पानीपत-जालंधर)बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th February, 2015

**S.O. 432(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government, in compliance to the order dated 17th April, 2014 and 24th April, 2014 passed by Hon'ble Supreme Court of India in Civil Appeal No. 461 1 of 2014 [arising out of Special Leave Petition (Civil) No. 19379/2013] in the matter of M/s. Soma Isolux NH One Tollway Private Limited (Appellant) V/s. Harish Kumar Puri and others (Respondents) and as per direction of MORTH vide letter No. H-24036/15/2013-H dated 03.12.2014 and RW H-37011/59/2014-PPP dated 07.01.2015 to shift the toll plaza from km 212.000 to km 211.805, hereby makes following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) bearing S.O. No. 926(E), dated 6th April, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) namely:—

Notes : 7.

For Location of Toll Plaza (Chainage)	Read as Location of Toll Plaza (Chainage)
(ii) km 212.000	km 211.805 (Near Ghaggar Bridge, Haryana Side) of NH-1

[F. No. NHAI/13013/428/CO/08-09/GC-Ambala (Panipat-Jalandhar) BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.